



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239887
CG-DL-E-27102022-239887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4817]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2022

का.आ. 5035(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516बी के कि.मी 22.400 से कि.मी 59.400 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516बी पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेनुए डिविशनल ऑफिसर विजयनगरम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	आंध्र प्रदेश	विज्जिनगरम	श्रृंगावरापुकोटा	1 तेन्नुबोडुवारा 2 किट्टमपालेम

		NH516B के कि.मी. 22.4 से 59.4 तक				3 जियांथी कुमाराम / कुमाराम मोखासा 4 कापुसोमपुरम 5 श्रृंगवरापुकोटा 6 दमपुरम 7 कोठावुरु 8 बालाकृष्णा राजपुरम
					विपदा	1 बोडुम 2 पतुरु
					लक्कावरापुकोटा	1 लक्कावरापुकोटा सीतारामपुरम 2 गंगुबुदी 3 मल्लिवीडू 4 रांगयापुरम 5 रंगापुरम 6 एल . कोटा
					कोठावलासा	1 उत्तरावल्ली 2 दाथी 3 रायापुराजूपेटा 4 वीरभद्रापुरान 5 निम्मलापालेम 6 चिपुरावलासा 7 देंदेरु 8 सन्तापलेम 9 गनीसेट्टीपालेम 10 मिंदीवलासा रामचंद्रपुराम 11 चिंतलापलेम 12 तुम्मिकपल्ली

						13 कोठावलासा
--	--	--	--	--	--	--------------

[फा. सं. REDE/AGICL/PMC/NH-516B/AP/2022-23/2459/019]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2022

S.O. 5035(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 22.4 to 59.4 of Vizianagram (NH516B) , km. 22.4 to km. 59.4 of Vizianagram (NH516B) in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH516B in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer Vizianagram	N.H. No. NH516B 22.4KM To 59.4KM	ANDHRA PRADESH	VIZIANAGARAM	Srungavarapukota Vepeda Lakkavarapukota Kothavalasa	1 Tennuboddavara 2 Kittampalem 3 Jiyanthi Kumaram / Kumaram Mokhasa 4 Kapusompuram 5 Srungavarapukota 6 Dampuram 7 Kothavuru 8 Balakrishna Rajapuram 1 Boddam 2 Paturu 1 Lakkavarapukota Seetarampuram 2 Gangubudi 3 Malliveedu 4 Rangayyapuram 5 Rangapuram 6 L. Kota 1 Uttaravalli 2 Dathi

						3	Rayapurajupeta
						4	Virabhadrapuran
						5	Nimmalapalem
						6	Chipuravalasa
						7	Denderu
						8	Santapalem
						9	Ganisettipalem
						10	Mindivalasa Ramchandrapuram
						11	Chintalapalem
						12	Tummikapalli
						13	KOTHAVALASA

[F. No. REDE/AGICL/PMC/NH-516B/AP/2022-23/2459/019]

RAJESH GUPTA, Director